झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम्-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 16.02.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री कुणाल षड़ंगी,स्टीफन मराण्डी एवं श्री रबीन्द्र नाथ महतो स0वि0स0	आदिम जनजाति के लोगों के लिए राज्य में अनेक कल्याणकारी योजनाऐं प्रारंभ की गयी है। पेंशन, आवास, पीने की पानी, योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आदिम जनजाति लोगों को सम्मान पूर्वक जीवनयापन का आधार और समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। किन्तु विगत 15 वर्षो में आदिम जनजाति लोगों की स्थिति धरातल पर बहुत ही दयनीय है। उन्हें न तो आवास पेंशन, पीने की पानी की सुविधा मिल रही है और न ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अतः मैं राज्य में आदिम जनजाति के लिए कार्य योजना धरातल पर लाने तथा उसके वास्तविकता पर विचार करने हेतु सरकार की ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कल्याण
02-	सर्वश्री अशोक कुमार,योगेश्वर महतो एवं श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	संथाल परगना के गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ एवं दुमका जिले में जमीन की खरीद-बिक्री नहीं होने के कारण जमाबंदी रैयतों के द्वारा जरूरतमंदों को मकान बनाने के लिये बसोवास हेतु राजी-खुशी से अपना जमीन देते है, जिसमें हजारों परिवार मकान बनाकर सपरिवार बसोवास कर रहे है। एकीकृत बिहार के समय से ही सरकार द्वारा वैसे जमीन लेने वाले को वासगित पर्चा निर्गत किया जाता था, ताकि उन्हें निकट भविष्य में कोई परेशानी ना हो। परन्तु हाल के दिनों से झारखण्ड सरकार द्वारा वासगित पर्चा निर्गत नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण राज्य के हजारों परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्तु जनहित में राजी-खुशी से लिये हुए जमीन पर मकान बनाकर बसोवास कर रहे लोगों को पूर्व की भाँति वासगित पर्चा निर्गत कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	राजस्व एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
03-	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	ज्ञातव्य है, कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत गढ़वा जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। लगभग 30 करोड़ रूपये की लागत से कृषि महाविद्यालय का भवन वर्ष 2012-13 में बनाकर तैयार कर दिया गया है। लेकिन अभी तक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा उक्त भवन का न तो अधिग्रहण किया गया है और न ही संचालित किया गया है। दुर्भाग्यजनक बात यह है, कि कृषि महाविद्यालय, गढ़वा का भवन बन जाने के बाद भी सरकार द्वारा उसे संचालित नहीं किया जा सका है। अब तो निर्मित भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्यादेश संख्या 3/कृ0रा0यो0 24/2007 (2008-09) 71 दिनांक- 20.03.2009 के द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत गढ़वा जिले में महाविद्यालय के स्थापना हेतु दी गई स्वीकृति के समय इसके संचालन की कोई योजना सरकार के पास नहीं थी। मैं कृषि महाविद्यालय, गढ़वा के शीघ्र संचालन के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

राँची,
दिनांक- 16 फरवरी, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-01/2016-...904.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 15/02/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/कल्याण विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/02/16
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-01/2016-...904.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 15/02/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
15/02/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।